न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत श्यालुता
पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/509/15

अनुवान– 1 श्रीनारायण पुत्र मांगीलाल जाति कोली निवासी कुटुकी तहसील राजगढ

:– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार राजगढ

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

05.06.2018:–आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत श्यालुता पर मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण इस न्यायालय मे आराजी खसरा नं0 हाल 2041/2171 रकबा 5.81 है0 वाके ग्राम श्यालुता मे से 1.25 है0 के लिये अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने बाबत दिनांक 05.10.2015 को पेश हुआ है। जिसमे बहस वकील प्रार्थी एक पक्ष मे प्रस्तुती की दिनांक को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की हुई है। तथा अप्रार्थीगण को नोटिस तलब करने के आदेश जारी किये गये।

सत्यमेव जयते
Copy - Not Original

अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार तहसीलदार राजगढ द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया हुआ है। जवाब मे उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

मैने पत्रावली का स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय अवलोकन व निरीक्षण किया, प्रार्थी की और से प्रस्तुत दस्तावेज फोटोप्रति जमाबंदी संवत 2069–72 खाता संख्या 01 वाके ग्राम श्यालुता का अवलोकन व निरीक्षण किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड से आराजी विवादित 2041/2171 रकबा 5.81 है0 वाके ग्राम श्यालुता सिवायचक दर्ज है। उक्त आराजी का रकबा 5.81 है0 है। जिसमे से प्रार्थी द्वारा 1.25 है0 आराजी की खातेदारी का दावा किया है। प्रकरण वर्ष 2015 से विचाराधीन चल रहा है। जिसमें पूर्व से अन्तरिम अस्थाई निषेंधाज्ञा भी जारी नही है। तथा वर्तमान रिर्काड से भी प्रथम दृष्टया प्रार्थी की खातेदारी साबित नही है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य नही है। अतः

आदेश है कि:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. विवादित आराजी खसरा नं. 2041/2171 रकबा 5.81 है0 वाके ग्राम श्यालुता मे से 1.25 है0 वाके ग्राम श्यालुता अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंग्न मूल वाद जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट श्यालुता तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत श्यालुता